Notes BY: AKHILESH KUMAR(Guest Teacher)
DEPARTMENT OF COMMERCE
JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA
FOR-LNMU -B.com part - 3Rd Paper-vii – Taxation Theory
and Practice Unit-1

आय कर अधिनियम में प्रदत आय के प्रावधान की विवेचना-

आय कर : आय पर लगने वाला कर है , प्राप्तियो पर लगने वाला नही ' | यह कथन बिल्कुल सत्य है | उदाहरण, यदि एक पत्नी को अपने पति से कोई धनराशि घर खर्च के लिए प्राप्त होती है तो यह पत्नी के हाथ में कर योग्य नही है क्योंकि यह पत्नी की आय नही है इस कथन की निम्न तरीके से भी व्याख्या की जा सकती है |

1. **व्यवसाय से प्राप्तियां (Business receipts) –** आय - कर अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान है की व्यवसाय की कुल बिक्री पर आय कर नही लगेगा बल्कि इस बिक्री को राशि में से माल की लागत एंव ए अप्रत्यक्ष खर्चे घटने के बाद अगर कोई राशि सेष बचती है तो इस शेष राशि पर ही आय कर लगाया जा सकता है अगर लागत असंभव खर्चे घटने के बाद कोई भी राशि शेष नही बचती है तो आय कर देने के आवश्यकता नही पड़ेगी उदाहरण , यदि एक व्यवसाय की बिक्री 3,00,000 रूस है तथा माल की लागत एंव अप्रत्यक्ष खर्चे इत्यादि 80,000 रू है तो यहाँ 220,000 रूपये पर ही आय - कर लगाया जा सकता है न की 3,00 ,000 रुपए पर |

2. **पूंजी सम्पतियो की बिक्री** - यदि गत वर्ष में कोई पूंजी सम्पत्ति बेचीं जाती है तो इससे प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण प्रतिफल पर आय कर नही लगेगा बल्कि इस प्रतिफल की राशी में पूंजी सम्पति की प्राप्ति लागत एंव हस्तान्तरण से सम्बंधित खर्चो को घटाने के बाद अगर कोई राशि शेष

बचती है तो इस प्रकार बची हुई शेष राशि पर ही आय - कर लगेगा | उदाहरण , एक भवन 4,00,000 रूपये में बेचा गया इसकी प्राप्ति लागत 2,00,000 रूपये थी एंव मकान बेचने से सम्बंधित दलाली पर 20,000 रुपए व्यय हुए है तो यहाँ (4,00,000- 2,20,000) 1,18,000 रुपए ही आय मानी जाएगी एंव आय कर की गन्ना भी 1,80,000 रुपए ही की जाएगी न की 4,00,000 रुपए पर |

3. **ब्याज की प्राप्ति** - यदि करदाता को गत वर्ष में कुछ राशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई है तो इस राशि में से ब्याज को संग्रह करने के खर्च घटाए जायेंगे | यदि जिन प्रतिभूतियो पर ब्याज प्राप्त हुआ है उन्हें खरीदने के लिए ऋण लिया गया था एंव इस ऋण पर ब्याज का भुगतान किया जाता है तो इस ब्याज की राशि को भी प्राप्त ब्याज की राशी में से घटाया एंव इसके बाद अगर कोई राशि शेष बचती है तो शेष राशि पर ही आय कर की गणना की जाएगी |

संक्षेप में , यह कहा जा सकता है की आय- कर प्राप्तियो पर लगने वाला कर नही बल्कि इसकी गणना आय के आधार पर की जाती है आय कर अधिनियम में एक करदाता की आय ज्ञात करने के लिए विभिन्न प्रावधान बनाये गये है इन प्रावधानों का पालन करने पर ही कर - योग्य आय का निर्धारण संभव है |

आय के मुख्य लक्षण अथवा आय - कर अधिनियम में प्रदत्त आय के प्रावधान

आय शब्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि आय - कर आय पर ही लगता है परन्तु आय - कर अधिनियम में इस शब्द की कोई परिभाषा नही गई है केवल धारा 2(24) में इतना ही बताया गया है की आय में क्या शामिल किया जाता है

आय के मुख्य लक्षण निम्नलिखित है -

. वैध व अवैध दोनों आयों पर आय कर लगता है |

- यह आवश्यक नही की आय मुद्रा के रूप में ही प्राप्त की गई हो मुद्रा तुली वस्तु या सेवा के रूप में प्राप्ति भी आय मानी जाती है
- आय के कर योग्य होने के लिए आय के साधन का होना आवश्यक है |
- आय एक साथ या किश्तों में प्राप्त हो सकती है अर्थात यह आवश्यक नही है की आय नियमित रूप से ही प्राप्त हो
- खर्चो की क्षतिपूर्ति आय नही मानी जाती है | उदाहरणार्थ - वास्तविक यात्रा व्यय की क्षतिपूर्ति आय नही मानी जाएगी |
- कोई प्राप्त धन आय है अथवा नही मानी जाएगी
- कोई प्राप्त धन आय है अथवा नही , इसका निश्चय प्राप्ति के समय से होता है यदि प्रथम प्राप्ति के समय वह आय नही है परन्तु बाद में आय हुई है तो वह कर योग्य नही हो सकता |
- आय की प्राप्ति बाहरी साधन से होनी चाहिए यदि किसी संघ को अपने सदस्यों से प्राप्त दा उसके खर्च से अधिक है तो वह आधिक्य कर योग्य आय नही मन जायेगा |

- यदि किसी व्यक्ति की आय पर क़ानूनी रूप से किसी दायित्व का भर लगा दिया जाये तो इतनी राशि उसकी आय नही मानी जाएगी |
- व्यक्तिगत उपहारों को आय नही माना जाता |
- कमाई गई तथा प्राप्त की गई दोनों ही आये कर योग्य होती है |
- आय ऋणात्मक हो सकती है |